कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– आर–1 (   )/2022/वन विभाग प्रत्यावर्तन/ज0रामगढ़/ 6718   दिनांकः 12.10.22

–::कार्यालय आदेश::–

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ ने Upgradation of Road from महंगी से दूधली मोड तक सडक में आने वाली वनभूमि क्षेत्रफल 3.4764 हैक्टे0 के बदले गैर वनभूमि क्षेत्रफल 3.4764 हैक्टे0 वन विभाग को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में ग्राम दांतली तहसील आंधी के खसरा नम्बर 319/128 रकबा 25.25 हैक्टे0 गैर मुमकिन पहाड में से 3.4764 हैक्टे0 भूमि वन विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु प्रस्तावित की है।

उपखण्ड अधिकारी ने प्रस्ताव में अवगत कराया है कि प्रस्तावित भूमि अतिक्रमण मुक्त है। उक्त भूमि वन से लगती हुई है। प्रस्तावित भूमि ग्राम की मुख्य आबादी से 250 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि अब्दुल रहमान याचिका से प्रभावित नहीं है। वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि को उपयुक्त बताया गया है।

अतः प्रकरण में प्राप्त प्रस्ताव अनुसार एतद्द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निम्न वर्णित भूमि को Upgradation of Road from महंगी से दूधली मोड तक सडक में आने वाली वनभूमि क्षेत्रफल 3.4764 हैक्टे0 के बदले वन विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु पृथक (सेट अपार्ट) किया जाता है।

नाम तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नं0	किस्म	स्वीकृत क्षेत्रफल
आंधी	दातली	319/128	गै0मु0 पहाड	3.4764 हैक्टे0

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

क्रमांकः– आर–1 (   )/2022/वन विभाग प्रत्यावर्तन/ज0रामगढ़/ 6719   दिनांकः 12.10.22

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1 उप वन सरंक्षक, वन्यजीव जयपुर, कोलडिपो परिसर पानीपेच झोडवाडा रोड, जयपुर।
2 उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ जिला जयपुर
3 तहसीलदार, तहसील आंधी जिला जयपुर को नक्शा ट्रेस प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त आदेश का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना से तत्काल अवगत कराएं।
4 विकास अधिकारी, पंचायत समिति आंधी जिला जयपुर
5 सरपंच, ग्राम पंचायत भावनी पंचायत समिति आंधी जिला जयपुर
6 आदेश/गार्ड पत्रावली

11/X/22

अति0कलक्टर–प्रथम प्रभारी
अधिकारी, राजस्व शाखा
कलक्ट्रेट, जयपुर